

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक०),
झारखण्ड, डोरण्डा, राँची।

राँची, दिनांक- / / ई०।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

विषय :- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वाद सं०-1014/34/06/2019 श्री मनोज मिश्रा के परिवाद में निहित अनुशंसा के आलोक में मृत नवजात शिशु उषा रानी माहली के पिता गोपीनाथ माहली, ग्राम- पटकाडीह, थाना- बोड़ाम, प्रखण्ड- बोड़ाम, जिला- पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को रू० 3,00,000/- (तीन लाख रुपये मात्र) आर्थिक सहायता राशि के भुगतान की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

2. रू० 3,00,000/- (तीन लाख) रुपये राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट शीर्ष-“2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-200-अन्य कार्यक्रम -05- दंगा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत -06- अनुदान -49- आर्थिक सहायता, विपत्र कोड- 22S22356020005000649 के अंतर्गत उपबंधित राशि से की जाएगी।
3. उपरोक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर होंगे तथा राशि की निकासी जिला कोषागार, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर से की जाएगी।
4. राशि का भुगतान एक मुश्त चेक/ड्राफ्ट द्वारा मृत नवजात शिशु उषा रानी माहली के पिता गोपीनाथ माहली, ग्राम- पटकाडीह, थाना- बोड़ाम, प्रखण्ड- बोड़ाम, जिला- पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को राशि रू० 3,00,000/- (तीन लाख रुपये मात्र) आर्थिक अनुदान भुगतान की स्वीकृति।
5. राशि का न तो पुनर्भुगतान किया जाएगा और न ही विचलन द्वारा अन्य मद में व्यय किया जायेगा।
6. प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनुरोध है कि उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के नाम से प्राधिकार पत्र निर्गत करने की कृपा की जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(प्रदीप तिग्गा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञाप संख्या-17/NHRC-12/2020-...../

राँची, दिनांक- / / ई०।

प्रतिलिपि- उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर /कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त, धनबाद से अनुरोध है कि मृत नवजात शिशु उषा रानी माहली के पिता गोपीनाथ माहली, ग्राम- पटकाडीह, थाना- बोड़ाम, प्रखण्ड- बोड़ाम, जिला- पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर का नाम आदि सत्यापित/सम्पुष्ट उपरान्त राशि रू० 3,00,000/- (तीन लाख रुपये मात्र) का भुगतान अपने निदेशन एवं आवश्यक जांचोपरान्त कर पावती रसीद यथाशीघ्र राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली को प्रेषित करते हुए उसकी प्रति इस विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

24/06/22

(क०पृ०उ०)

ज्ञापांक-17/NHRC-12/2020-...../

राँची, दिनांक- / / ई०।

प्रतिलिपि- अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-04, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि राशि का आवंटन शीघ्र सुनिश्चित किया जाए।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-17/NHRC-12/2020-...../

राँची, दिनांक- / / ई०।

प्रतिलिपि- आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड/उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड/अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-17/NHRC-12/2020-...../ 104

राँची, दिनांक- 19/07/2022 ई०।

प्रतिलिपि- Deputy Registrar (Law), National Human Right Commission, Manav Adhikar Bhawan, C BLOCK, GPO Complex, I.N.A. New Delhi- 110023/नोडल प्रदाधिकारी, विभागीय पोर्टल, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।